

26/5/25

पत्रावली पेच हुयी। वादी व वादी महिवला
अनुपस्थित। न्यायालय द्वारा बार-बार वादी व
वादी महिवला के जोर-जोर से ^{उभार} उभारे लगाये
गयी। पत्रावली अथम हाजरी व अथम पैरवी तथा
अथम तलवी में खारिज की जाती है। पत्रावली
फैसल सुमार चेकर नम्बर से कम हो के हलवा
एकडे न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर
सांभर लोक (जयपुर)